कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.-9454400250, दूरभाष-05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-285/2023 दिनांक-07.09.2023

प्रेस नोट

थाना निजामाबाद/जहानागंज

दम्पत्ति की हत्या कर लूट पाट करने वाले व थाना क्षेत्र जहानागंज में ड्यूटीरत पुलिस कर्मी को जान से मारने की नियत से पिकअप वाहन चढ़ाने वाले गिरोह के (01 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में घायल) 02 शातिर अपराधी गिरफ्तार 01 इनके कब्जे 01 तमंचा, 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर तथा लूट के जेवरात व घटना में प्रयुक्त चापड़ बरामद

पूर्व की घटना:-

दिनांक 26.06.2023 को वादी रामलखन सोनकर उर्फ छांगुर पुत्र विश्वनाथ सोनकर निवासी कटघर सदर थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा प्रा0पत्र दिया कि दिनांक 25-26.06.2023 की रात्रि में वादी के पिता विश्वनाथ सोनकर पुत्र सुभग्गा तथा माता शनीचरी देवी अपने घर के बाहर करकट में सो रहे थे. अज्ञात हमलावरो द्वारा धारदार हथियार से पैर व हाथ बांधकर काटकर दोनो की निर्मम हत्या कर दिया गया तथा पहने हुये सोने की लुरकी, गले की गुल्ली व कानो के कनफूल हाथो के गुजहा, चादी का सिकड, मंगलसुत्र, पैर का पायल, नथिया आदि सामान चोरी कर लिया गया। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 286/23 धारा 382/302 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटनास्थल का पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा निरीक्षण करते हुए टीमें गठित कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक.-07.09.2023 को थानाध्यक्ष निजामाबाद व उपनिरीक्षक सुल्तान सिंह मय हमराह के साथ फरिहां चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि परसहाँ गांव मे दोहरा हत्या का एक मुल्जिम मोटर साईकिल से चेकपोस्ट की तरफ से आने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष निजामाबाद मय हमराह के साथ बघौरा मोड पर पहुंचकर आने वाले व्यक्ति का इंतजार करनें लगे कि कुछ ही देर में एक व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया। सामने से आ रहे व्यक्ति को रोकने पर भागने के असफल प्रयास के बाद पकड लिया गया।

पूछताछ विवरण:-

पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम नसीम उर्फ लम्बू पुत्र दिलशेर निवासी कोटिला थाना रानी की सरायं आजमगढ उम्र लगभग 35 वर्ष बताया।

➡ दिनांक 25-26.06.2023 की रात्रि में ग्राम परसहां थाना निजामाबाद में मैं और मेरे अन्य साथी योजना बनाकर सुनसान जगह पर स्थित बुजुर्ग दंपत्ति जो अपने शरीर काफी गहने पहने हुये थे उनको लूटने के मकसद से रात्रि में लगभग 12 बजे लाठी डंडा व चापड़ की मदद से डरा-धमका कर निकलवाना चाहते हैं। हम लोगो को ऐसा लग रहा था कि ये अपने घर मे भी काफी गहने रखे होंगे। डरा धमकाकर काफी पूछताछ किया गया जब नहीं बताये तो हमे तथा हमारे साथियों को काफी गुस्सा आया और हम लोगो ने उन बुजुर्ग दंपत्तियों को चापड़/टांगी व डंडो से हमला कर मार डाला तथा उनके शरीर में पहने हुये जेवर जो बूढी औरत ने पहने हुये थे नहीं निकलने पर हम लोगो ने मिलकर उसका हाथ काटकर अलग कर दिया । और इस प्रकार दोनो के पहने हुये गहने को लूटपाटकर फरार हो गये ।

➡ तथा यह भी बताया कि अपने साथियों के साथ पशुओ की चोरी कर उनको इकठ्ठा कर बिहार ले जाकर बेच देते है।

➡ करीब डेढ वर्ष पूर्व विश्वनाथ सोनकर पुत्र सुभग्गा के घर से ही हम लोगो ने भैस चोरी किया था.

➡ दिनांक 12.08.2023 को हम लोग पिकअप वाहन से रात्रि में चोरी करने जा रहे थे कि शुम्भी नहर पुलिया के पास थाना जहानागंज क्षेत्र में दो पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान हमारी पिकप गाडी को रोकने का प्रयास किये कि उन्हे जान से मारने की नियत से उनके ऊपर गाडी चढ़ाकर फरार हो गये थे। इसमे मैं और मेरे 05 साथी थे जो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या में शामिल थे।

➡अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बू की निशांदेही पर घटना में प्रय़ुक्त चापड बरामद किया गया। अभियुक्त को **समय करीब 07.30 बजे** सुबह गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बू शातिर किस्म का अपराधी व थाना रानी की सराय का टाप टेन अपराधी व थाना रानी की सराय का हिस्ट्रशीटर अपराधी है जिसका HS NO.- 42A है। जिसके उपर हत्या के प्रयास, चोरी, गोवध, मारपीट, गैंगेस्टर के मुकदमें जनपद आजमगढ़ व अम्बेडकर नगर में करीब डेढ दर्जन मुकदमें पंजीकृत है।

इसी के क्रम में- (**पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी**)

आज दिनांक- 07.09.2023 को समय लगभग प्रभारी निरीक्षक जहानागंज दिलीप कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली भुजही नहर पट्टी से थाना निजामाबाद में हुई दम्पत्ति की हत्या कर आभूषणों की चोरी करने में शामिल 02 बदमाश मोटर साइकिल से आ रहे है, इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, भुजही नहर पट्टी से एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्ति आ रहे थे, रोकने का इशारा करने पुलिस टीम को अचानक देखकर मुड़कर भागने के प्रयास के दौरान पीछे बैठा व्यक्ति मोटरसाइकिल से फिसल गिर गया तथा अपने पास

रखे हुए असलहे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा जिसमें पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में बदमाश के बाये पैर में गोली लगी है एवं उपचार के लिए सीएचसी जहानागंज भेजा गया है।

➡घायल बदमाश की पहचान मो0 जूबैर उर्फ वकील पुत्र इस्तेखार निवासी बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में की गयी। जो उपरोक्त दोनो घटनाओं में शामिल है।

➡इसके कब्जे से **01 तमंचा, 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व सफेद धातू गुजहा (कड़ा)** बरामद हुआ है। दुसरा बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। अभियुक्तों का यह कार्य धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 286/23 धारा 396/412/120 बी भादवि व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नसीम उर्फ लम्बू पुत्र दिलशेर निवासी कोटिला थाना रानी की सरायं जनपद आजमगढ
2. मो0 जूबैर उर्फ वकील पुत्र इस्तेखार निवासी बम्हौर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ । **(पुलिस मुठभेड़)**

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त नसीम उर्फ लम्बू)

1. मुं.अ.सं.140/2021 धारा 379/511भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
2. मु0अ0सं0-14/2021 धारा 379 भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
3. मु0अ0सं0-23/2020 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 व 429 भा0द0वि0 बिलरियागंज आजमगढ
4.मु0अ0सं0-74/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट बिलरियागंज आजमगढ
5.मु0अ0सं0-211/2018 धारा 41/411 भा0द0वि0 अहरौला आजमगढ
6.मुं.अ.सं.188/2017 धारा 147/336/323/504/506 भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
7.मु0अ0सं0-79/2016 धारा 147/452/354/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)10 sc/st act रानी की सराय आजमगढ
8.मु0अ0सं0-53/2014 धारा 110 जी सीआरपीसी रानी की सराय आजमगढ
9. NCR-117/2013 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
10. NCR-82/2014 धारा 323/352/504/508 भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
11. NCR-24/2015 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 रानी की सराय आजमगढ
12.मु0अ0सं0-151/2021 धारा 379/504/506/411भा0द0वि0 अहिरौली अम्बेडरनगर
13.मुं.अ.सं.170/2021 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 अहिरौली अम्बेडरनगर
14.मु0अ0सं0-180/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 अहिरौली अम्बेडरनगर
15.मु0अ0सं0-389/22 धारा (1) गैगेस्टर एक्ट, जहानागंज, आजमगढ़
16. मु0अ0सं0-74/20 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
17.मु0अ0सं0-30/22 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर
18. मु0अ0सं0-286/23 धारा 396/412/120 बी भादवि व धारा 4/25 आयुध अधिनियम निजामाबाद आजमगढ़
19. मु0अ0सं0- 372/23 धारा 307 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ ।

अभियुक्त जुबेर उर्फ वकील आपराधिक इतिहास- (पुलिस मुठभेड़)

1. मु0अ0सं0 286/23 धारा 382/302 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. मु.अ.सं.- 372/23 धारा 307 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़ ।

बरामदगी-

01 चापड़ (लोहे की)

01 गुजहा (कड़ा)

अभियुक्त जुबेर उर्फ वकील के कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर 01 गुजहा (कड़ा) बरामद (पुलिस मुठभेड़)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ
2. उ0नि0 सुल्तान सिंह (चौकी प्रभारी फरिहा) मय हमराह थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. थाना प्रभारी जहानागंज दिलीप कुमार सिंह मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़ (पुलिस मुठभेड़ टीम)